नगर निगम, भरतपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BHARATPUR/FIRENOC/2025-26/61389

जारी दिनांकः 29-JUN-2026 वैधता दिनांकः 28-JUN-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः HEMENDRA KUMAR

आवेदक का पताः ANAND VIDYA MANDIR MOHALLA GOPAL GARH BHARATPUR

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **ANAND VIDHYA MANDIR UCCH MADHYMIK SCHOOL, 00, CIMMCO KE SAMNE, RUNDHIYA NAGAR, BHARATPUR, BHARATPUR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. सम्पूर्ण स्थल की अनापत्ति ली जानी अनिवार्य होगी तथा उक्त अनापति का नवीनीकरण करवाया जाना आवयक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निामन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवयक होगा।
3. अग्निामन उपकरणों को समयावधि में रीफिल कराना होगा ।
4. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. भवन का अग्निामन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने के स्थिति में यह अभिांषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
6. पानी के टैंक हर समय भरें रखने होगें व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंण्टें कार्यील स्थिति में रखने को बाध्य होगे।
7. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
10. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
11. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत् आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
12. निरीक्षण के दौरान आवयक दिाा निर्देाों का पालन करना आवयक होगा।
13. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटoफ रेस्टोरेंट के लिए मान्य नही हैए जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। वहo पर रूफटoफ रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा
15. यह अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अधीन रहेगी। शपथ पत्र के अनुसार व्यवस्था नहीं पाए जाने पर निरस्त मानी जाएगी।
16. यह आदेश भू रूपान्तरण या भू उपयोग परिवर्तन के लिए मान्य नही होगा और न ही स्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में पेश किया जाएगा।
17. भू उपयोग परिवर्तन या रूपान्तण के लिए नगर निगम एवं बीडीए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

Signed by: Tej Ram Meena
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BHARATPUR, Rajasthan
Date: 29/06/2026 12:27:09

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर